मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

मंगलवार, दिनांक 9 मार्च, 2021 (फाल्गुन 18, शक संवत् 1942)

विधान सभा पूर्वाह्न 11:01 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री गिरीश गौतम) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 11 प्रश्नों (प्रश्न संख्या 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एवं 12) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये. प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 127 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 142 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

किसानों के ऋण माफी संबंधी तारांकित प्रश्न संख्या 11 पर व्यवधान के कारण सदन की कार्यवाही 11.48 बजे 5 मिनट के लिये स्थगित की जाकर 11.55 बजे पुन: समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री गिरीश गौतम) पीठासीन हुए.

2. बहिर्गमन

डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य के नेतृत्व में इण्डियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के सदस्यों द्वारा ऋण माफी योजना का क्रियान्वयन संबंधित तारांकित प्रश्न संख्या 11 (क्रमांक 3909) पर शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया.

(श्री फुन्देलाल सिंह मार्को, सदस्य द्वारा एप्रेन पहनकर सदन में प्रवेश किया. आसंदी के निर्देशानुसार और मार्शल की समझाइस पर सदन के बाहर आये.)

3. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) इंजी. प्रदीप लारिया, सदस्य की मकरोनिया सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में एम्बुलेंस वाहन की व्यवस्था किये जाने,

(2) श्री पुरूषोत्तम लाल तंतुवाय, सदस्य की पटेरा विकास खण्ड अतंर्गत कुण्डलपुर/कुम्हरी में महाविद्यालय खोले जाने,

(3) श्री प्रणय प्रभात पाण्डे, सदस्य की बहोरीबंद जिला कटनी द्वारा तिलवारी से निमास पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य गुणवत्ता विहीन होने,

(4) श्री कमलेश्वर पटेल, सदस्य की सीधी एवं सिंगरौली जिले में पेयजल संकट उत्पन्न होने,

(5) श्री विजयराघवेन्द्र सिंह, सदस्य की कटनी जिले बड़वारा विधान सभा क्षेत्र अतंर्गत पेयजल हेतु टंकियों का गुणवत्ता विहीन निर्माण किए जाने,

(6) श्री पंचूलाल प्रजापति, सदस्य की मनगवां विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत रिकुरी 37, प्रणामी मंदिर से खरहना व गंगेत पहुंच मार्ग अत्यंत खराब होने,

(7) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय, सदस्य की जावरा नगर के मुख्य व आंतरिक मार्गों पर समुचित ढंग से डामरीकरण एवं उचित मरम्मत न किये जाने,

(8) श्रीमती लीना संजय जैन, सदस्य की जिला विदिशा की तह. मुख्यालय ग्यारसपुर में शासकीय महाविद्यालय खोले जाने,

(9) श्री प्रेमशंकर कुंजीलाल वर्मा, सदस्य की सिवनी मालवा क्षेत्र में तवा नहरों को सीमेंटेड न किये जाने तथा

(10) श्री पी.सी. शर्मा, सदस्य की प्रदेश के होमगार्ड सैनिक के लिए रोटेशन प्रणाली को बंद किये जाने संबंधी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत हुईं मानी गईं.

4. शून्यकाल में मौखिक उल्लेख

(1) ग्वालियर में कृषि विकास अधिकारी की भर्ती में अनियमितता की जाना

डॉ. गोविन्द सिंह एवं श्री सज्जन सिंह वर्मा, सदस्यगण ने उल्लेख किया कि व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा ग्वालियर में कृषि विकास अधिकारियों की भर्ती में व्यापक अनियमितता की गई है. एक ही जिले के एक ही जाति के और एक ही केन्द्र पर अभ्यार्थियों के गत 4 वर्ष में बी.एस.सी. (कृषि) में 200 में से 190, 195 नंबर आये हैं. सरकार इसकी सी.बी.आई. जांच करके जवाब दे.

(2) नगरीय निकाय चुनाव में व्ही.व्ही. पैट मशीन का उपयोग किया जाना

श्री तरूण भनोत, सदस्य ने उल्लेख किया कि मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि मध्यप्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव शीघ्र होने वाले है और सरकार इसमें व्ही.व्ही. पैट मशीन का उपयोग नहीं करने जा रही है. आसंदी व्यवस्था दे और सदन को आश्वस्त करे कि नगरीय निकाय चुनाव सरकार व्ही.व्ही. पैट मशीन के माध्यम से ही करायेगी.

(3) अनुसूचित जाति एव अनुसूचित जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति न दी जाना

सर्वश्री बाला बच्चन एवं फुन्देलाल सिंह मार्को, सदस्यगण ने उल्लेख किया कि अनुसूचित जाति एव अनुसूचित जनजाति के छात्रों को देय छात्रवृत्ति का बजट केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा कम कर दिया गया है. आसंदी सरकार से इसका जवाब दिलाए. आसंदी ने उन्हें आश्वस्त किया कि मंत्री की अनुदान मांगों पर आप की बात का जवाब उनके द्वारा दिया जायेगा.

5. बहिर्गमन

श्री फुन्देलाल सिंह मार्को के नेतृत्व में इण्डियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के सदस्यों द्वारा अनुसूचित जाति एव अनुसूचित जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति कम करने के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया.

6. शून्यकाल में मौखिक उल्लेख (क्रमश:)

(4) कोतमा की लड़की की ट्रेन में हत्या होना

डॉ. विजयलक्ष्मी साधौ, सदस्य ने उल्लेख किया कि कोतमा की एक लड़की अहमदाबाद से भोपाल आ रही थी. दिनांक 5 मार्च, 2021 को ट्रेन में उसकी हत्या कर दी गई है. इस घटना का संज्ञान लेकर उचित कार्यवाही की जाए.

7. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री गोविन्द सिंह राजपूत, राजस्व मंत्री ने अधिसूचना दिनांक 24 अक्टूबर, 2019 पटल पर रखी.

(2) श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह, खनिज साधन मंत्री ने जिला खनिज प्रतिष्ठान, जिला अनूपपुर का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2017-18 पटल पर रखा.

(3) श्री ओमप्रकाश सखलेचा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री ने -
(क) भोपाल इलेक्ट्रॉनिक्स मेन्युफेक्चरिंग पार्क लिमिटेड का तृतीय वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2018-19, तथा
(ख) जबलपुर इलेक्ट्रॉनिक्स मेन्युफेक्चरिंग पार्क लिमिटेड का तृतीय वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2018-19, पटल पर रखे.

8. ध्यानाकर्षण

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से यह घोषणा की गई कि - विधानसभा की नियमावली के नियम 138 (3) के अनुसार किसी एक बैठक में दो से अधिक ध्यानाकर्षण की सूचनाएं नहीं ली जा सकती हैं, परंतु सदस्यों की ओर से अभी तक प्राप्त ध्यानाकर्षण की सूचनाओं में दर्शाये गये विषयों की अविलंबनीयता तथा महत्व के साथ ही माननीय सदस्यों के विशेष आग्रह को देखते हुए सदन की अनुमति की प्रत्याशा में नियम को शिथिल करके मैंने आज की कार्यसूची में 4 सूचनाएं सम्मिलित किये जाने की अनुज्ञा प्रदान की है, लेकिन इसके साथ ही मेरा अनुरोध है कि जिन माननीय सदस्यों के नाम सूचनाओं में हों केवल वे ही प्रश्न पूछकर इन ध्यानाकर्षण सूचनाओं पर यथा शीघ्र चर्चा समाप्त हो सके, इस दृष्टि से कार्यवाही पूरी कराने में सहयोग प्रदान करें. तद्नुसार -

(1) सर्वश्री दिलीप सिंह गुर्जर, कुणाल चौधरी एवं बहादुर सिंह चौहान, सदस्यगण, नागदा स्थित उद्योगों द्वारा ठेका श्रमिकों को कार्य से बाहर किये जाने की ओर श्रम मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह, श्रम मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

9. भोजनावकाश न होना

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से घोषणा की गई कि सदन की लाबी में भोजन की व्यवस्था की गई है. माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि अपनी सुविधानुसार भोजन ग्रहण करने का कष्ट करें.

10. ध्यानाकर्षण (क्रमश:)

(2) श्री आशीष गोविन्द शर्मा, सदस्य ने देवास जिलान्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग के लिये अधिग्रहित भूमि के मुआवजा निर्धारण में अनियमितता किये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री गोविन्द सिंह राजपूत, राजस्व मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

(3) श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर, सदस्य ने निवाड़ी एवं टीकमगढ़ जिले में बिजली बिल जमा करने के बाद भी विद्युत संकट की ओर ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, ऊर्जा मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

(4) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया, सदस्य ने प्रदेश के आदिवासी जिलों में विद्यालय शिक्षक विहीन होने की ओर राज्यमंत्री स्कूल शिक्षा का ध्यान आकर्षित किया.

श्री इन्दर सिंह परमार, स्कूल शिक्षा मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

11. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार, दैनिक कार्यसूची में उल्लिखित सदस्यों द्वारा याचिकाएं प्रस्तुत हुई मानी गईं :-

(1) श्री संजय सत्येन्द्र पाठक, सदस्य, कटनी
(2) श्री कुणाल चौधरी, सदस्य, शाजापुर
(3) श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर, सदस्य, टीकमगढ़
(4) श्री पी.सी. शर्मा, सदस्य, भोपाल शहर
(5) श्रीमती कृष्णा गौर, सदस्य, भोपाल शहर
(6) श्री देवेन्द्र सिंह पटेल, सदस्य, रायसेन
(7) श्री बहादुर सिंह चौहान, सदस्य, उज्जैन
(8) श्री प्रदीप अमृतलाल जायसवाल, सदस्य, बालाघाट
(9) श्री हर्ष यादव, सदस्य, सागर
(10) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, भिण्ड
(11) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय, सदस्य, रतलाम
(12) श्री जयवर्द्धन सिंह, सदस्य, गुना
(13) श्री लाखन सिंह यादव, सदस्य, ग्वालियर
(14) श्री सुरेश राजे, सदस्य, ग्वालियर

(15) श्रीमती मनीषा सिंह, सदस्य, शहडोल
(16) श्री मुकेश रावत (पटेल), सदस्य, अलीराजपुर
(17) श्री राज्यवर्धन सिंह, सदस्य, राजगढ़
(18) श्री ग्यारसीलाल रावत, सदस्य, बड़वानी
(19) श्रीमती झूमा सोलंकी, सदस्य, खरगोन
(20) श्री विक्रम सिंह, सदस्य, सतना
(21) श्री पुरूषोत्तमलाल तंतुवाय, सदस्य, दमोह
(22) डॉ. सतीश सिकरवार, सदस्य, ग्वालियर
(23) श्री प्रहलाद लोधी, सदस्य, पन्ना
(24) श्री धर्मेन्द्र भावसिंह लोधी, सदस्य, दमोह
(25) श्री संजय यादव, सदस्य, जबलपुर
(26) श्री के.पी. त्रिपाठी, सदस्य, रीवा
(27) श्री जालम सिंह पटैल, सदस्य, नरसिंहपुर
(28) श्री प्रदीप पटेल, सदस्य, रीवा
(29) श्री विशाल जगदीश पटेल, सदस्य, इन्दौर
(30) श्री अनिरुद्ध (माधव) मारू, सदस्य, नीमच
(31) श्री रामचंद्र दांगी, सदस्य, राजगढ़
(32) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को, सदस्य,
(33) इंजी. प्रदीप लारिया, सदस्य, सागर
(34) श्री मुरली मोरवाल, सदस्य, उज्जैन
(35) श्री दिलीप सिंह परिहार, सदस्य, नीमच
(36) श्री सुनील उईके, सदस्य, छिन्दवाड़ा
(37) श्री प्रणय प्रभात पांडे, सदस्य, कटनी
(38) श्री कुंवरजी कोठार, सदस्य, राजगढ़
(39) श्री आलोक चतुर्वेदी, सदस्य, छतरपुर
(40) श्री नीलांशु चतुर्वेदी, सदस्य, सतना
(41) श्री प्रियव्रत सिंह, सदस्य, राजगढ़
(42) श्री पहाड़ सिंह कन्नौजे, सदस्य, देवास
(43) श्री अनिल जैन, सदस्य, निवाड़ी
(44) श्री राजेश कुमार प्रजापति, सदस्य, छतरपुर
(45) श्री राकेश मावई, सदस्य, मुरैना
(46) श्री उमाकांत शर्मा, सदस्य, विदिशा
(47) श्री शशांक श्रीकृष्ण भार्गव, सदस्य, विदिशा
(48) श्री संजय शर्मा, सदस्य, नरसिंहपुर
(49) श्री संजीव सिंह, सदस्य, भिण्ड
(50) श्री तरबर सिंह, सदस्य, सागर
(51) श्री राकेश गिरि, सदस्य, टीकमगढ़
(52) श्री सोहनलाल बाल्मीक, सदस्य, छिन्दवाड़ा
(53) श्रीमती लीना संजय जैन, सदस्य, विदिशा
(54) कुंवर विक्रम सिंह (नातीराजा), सदस्य, छतरपुर
(55) श्री प्रेमशंकर वर्मा, सदस्य, होशंगाबाद
(56) श्री नारायण सिंह पट्टा, सदस्य, मण्डला
(57) श्री शरदेन्दु तिवारी, सदस्य, सीधी
(58) श्री शैलेन्द्र जैन, सदस्य, सागर
(59) श्री आशीष गोविन्द शर्मा, सदस्य, देवास
(60) श्री रवि रमेशचंद्र जोशी, सदस्य, खरगोन
(61) श्री सुनील सराफ, सदस्य, अनूपुपर

12. संपत्ति विवरण पटल पर रखा जाना

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य ने वर्ष 2021 का स्वयं का, पत्नी का और संयुक्त परिवार की आय व्ययक संपत्ति विवरण पटल पर रखा.

13. शासकीय वक्तव्य

श्री कमल पटेल, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री ने दिनांक 17 दिसम्बर, 2019 को पूछे गये परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 77 (क्रमांक 672) एवं अतारांकित प्रश्न संख्या 89 (क्रमांक 674) के उत्तरों में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य दिया.

14. शासकीय विधि विषयक कार्य

डॉ. नरोत्तम मिश्र, विधि एवं विधायी कार्य मंत्री, दण्ड विधि (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 20 सन् 2021) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.

15. अध्यक्षीय घोषणा

मांग संख्या 16 एवं 23 आगामी दिवसों में लिया जाना

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से घोषणा की गई कि - आज की कार्यसूची के पद 7. "वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों पर मतदान" के उपपद (2) पर अंकित मांग संख्या-16 एवं मांग संख्या-23 को संबंधित माननीय मंत्री ने अपरिहार्य कारणों से आगामी कार्य दिवसों में लेने का अनुरोध किया है. अत: उक्त मांगों को आगामी कार्य दिवसों में लिये जाने की अनुज्ञा मेरे द्वारा प्रदान की गई है. परंतु इसके स्थान पर कार्यसूची के उपपद (7) पर उल्लिखित किसान कल्याण तथा कृषि विकास संबंधी मांगों पर चर्चा ली जायेगी.

16. वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (पूर्वानुबद्ध)

(2) श्री गोपाल भार्गव, लोक निर्माण मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदया को –

अनुदान संख्या – 24	लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल के लिए छह हजार पांच सौ छत्तीस करोड़, बयासी लाख, इकहत्तर हजार रुपये,
अनुदान संख्या – 53	लोक निर्माण कार्य-भवन के लिए तीन सौ एक करोड़, दस लाख, उनतीस हजार रुपये एवं
अनुदान संख्या – 56	कुटीर एवं ग्रामोद्योग के लिए एक सौ सात करोड़, चौबीस लाख, बीस हजार रुपये,

तक की राशि दी जाय.

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होने के पश्चात्, मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

सभापति महोदय (श्री रामलाल मालवीय) पीठासीन हुए.

(1) श्री सज्जन सिंह वर्मा
(2) श्री हरिशंकर खटीक
(3) श्री मुरली मोरवाल
(4) श्री घनश्याम सिंह
(5) श्रीमती रामबाई गोविंद सिंह
(6) श्री सुरेश राजे
(7) श्री शैलेन्द्र जैन
(8) श्री प्रियव्रत सिंह
(9) श्री दिलीप सिंह परिहार

सभापति महोदय (श्री लक्ष्मण सिंह) पीठासीन हुए.

(10) श्री पांचीलाल मेड़ा
(11) इंजी. प्रदीप लारिया

(12) श्री विनय सक्सेना
(13) श्री बहादुर सिंह चौहान
(14) सुश्री हिनालिखीराम कावरे
(15) श्री प्रेमशंकर कुंजीलाल वर्मा
(16) श्री बैजनाथ कुशवाह
(17) श्री योगेश पंडाग्रे

अध्यक्ष महोदय (श्री गिरीश गौतम) पीठासीन हुए.

(18) श्री देवेन्द्र सिंह पटेल
(19) श्री संदीप श्रीप्रसाद जायसवाल
(20) श्री पी.सी. शर्मा
(21) श्री जजपाल सिंह जज्जी
(22) श्री संजय यादव
(23) श्री राजवर्धन सिंह
(24) श्री नीलांशु चतुर्वेदी
(25) श्री रघुनाथ सिंह मालवीय
(26) श्री कमलेश्वर पटेल
(27) श्री आशीष गोविन्द शर्मा
(28) कुंवर विक्रम सिंह (नातीराजा)
(29) श्री सूबेदार सिंह सिकरवार रजौधा
(30) श्री सचिन यादव
(31) श्री प्रदीप पटेल
(32) श्री मनोज चौधरी
(33) श्री बाला बच्चन
(34) श्री विजयपाल सिंह
(35) श्री सुखदेव पांसे
(36) श्री दिलीप सिंह गुर्जर
(37) श्री रामलाल मालवीय
(38) श्री रवि रमेशचन्द्र जोशी
(39) श्रीमती लीना संजय जैन
(40) श्री सुनील सराफ
(40) श्री देवेन्द्र वर्मा
(40) श्री बापूसिंह तंवर
(40) श्री उमाकांश शर्मा
(40) श्री शशांक श्रीकृष्ण भार्गव

अध्यक्ष महोदय द्वारा वर्तमान विधायकों की 2 गाड़ियों एवं पूर्व विधायकों की 1 गाड़ी के लिए फास्टेग की सरलीकृत व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु शासन को निर्देश दिये गये.

श्री गोपाल भार्गव ने चर्चा का उत्तर दिया.

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए.
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

अपराह्न 6.03 बजे विधान सभा की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 15 मार्च, 2021 (24 फाल्गुन, शक सम्वत् 1942) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

ए. पी. सिंह,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल:
दिनांक: 9 मार्च, 2021.